फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
वार भुजा
मुकाम अजमेर

मुकदमा 183,188 मुकदमा नम्बर 29 /2010.....सन .... बनाम हरजी वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8.7.2019	वदी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने पर पत्रावली हमारे द्वारा तलब की गई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित । वकिल वादी ने निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपपी.सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4,9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी मय धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई हेतु निवेदन किया गया । सर्वप्रथम उभय पक्ष को वादी प्रार्थी की ओर से आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा वादी को 17.7.18 को दी गई सूचना के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति बरजी पत्नि रतन का स्वर्गवास हो चुका है जिसका प्रार्थना पत्र में वर्णित 6 वारिस है जिसे रेकार्ड पर लिया जावे। वकिल वादी ने अपने समर्थन में आरआरसी डीईसी 2000 पेज 551, आर.एल.डब्लू 2006 (2) पेज 873, सुप्रिम कोर्ट आफ इण्डिया का सिविल अपील 5568 आफ 2004 पेज 235 व आरआडी 1983 पेज 197 प्रस्तुत किए । जिसका जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा कथन किया कि श्रीमती बरजी की मृत्यु की दिनांक वादी द्वारा अंकित नही की गई है जबकि श्रीमति बरजी का स्वर्गवास 24.12.2017 को हो चुका है। आवेदन पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है वादी का वाद उपसमन हो चुका है। प्रतिवादी के द्वारा बरजी की मृत्यु की लिखित सूचना 10.4.18 को दे दी गई। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.18 को प्रस्तुत किया गया इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद को खारिज किया जावे। इस सबंध में वकिल प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में 2019 (1) डीएनजे 316 एवं 2014 (2) आरआरटी 873 2018 (2) आरआरटी 1379 प्रस्तुत की । प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपपी.सी पर	

सुना गया। वादी अभिभाषक ने निवेदन किया कि वाद पत्र
वादी गणपतलाल पुत्र रामचन्द्र का दिनांक 13.8.2013 को
चुका है जिसकी वारिसान राजेश कुमार पुत्र गणपतलाल
दौराई तहसील व जिला अजमेर उक्त वारिसान को मृतक का
स्यू सरवाईव करता है। उपकरोक्त के अतिरिक्त मृतक के अन्य
वारिसान नही है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मृतक गणपत
का नाम रिकार्ड से तर्क फरमा कर उसके स्थान पर उक्त वारिसान
रिकार्ड पर लेने के आदेश प्रदान करावे ।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गणपतलाल का स्वर्गवास दिनांक 13.8.2013 को होना अंकित किया है जो कि मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जब कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र अनुसार यदि मंदिर की खातेदारी की भूमि के इन्द्राज जमाबंदी में यदि पुजारी का नाम दर्ज हो कि जिसे हटा दिया जावें इस प्रकार उक्त आवेदन पत्र कि जिसमें गणपत के वारिस राजेश कुमार को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राजस्व भू अभिलेख में मदिर के साथ पुजारी का नाम कि जिसे हटा दिये जाने के आदेश पारित किये जा चुके है। एवं प्रार्थी के पिता द्वारा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष विवादित भूमि के सबंध में अपील संख्या 21/2010 हरजी व अन्य बनाम सरकार में प्रार्थी के पिता गणपत के द्वारा मदिर चारभुजाजी जरिये पुजारी गणपत पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 23.2.2011 को यह आदेश पारित करते हुए निरस्त किया गया कि मंदिर के साथ पुजारी का नाम जिसे राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पुजारी का नाम हटाया जाने के आदेश जारी हो चुके है। एवं मदिर का सरक्षक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ही है। इस प्रकार मदिर श्री चारभुजा जी महाराज जरिये वसीयती पुजारी/प्रार्थी बनना चाहता है जो कि लोकनिति के विरूद्व होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 स्वीकार किया जाने योग्य नही है। एवं यह भी बहस की की प्रार्थी अपने आप को मदिर चारभरुजा जी महाराज का जरिये वरियती पुजारी वारिस हेतु आवेदन किया है जो कि कानून के विरूद्व एवं राज्य सरकार के परिपत्र के विरूद्व है वादी ने आदेश 32 जाप्ता दीवानी के तहत मंदिर परबीचवल माइनर जरिये नैक्ट फ्रेन्ड यानि वादमित्र की हैसियत से आवेदन नही किया गया है इस कारण प्रार्थी का आवेदन व वाद पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में मृतक गणपतलाल ने अपने आपको मदिर

Scanned with CamScanner

चारभुजा जी महाराज वाके ग्राम दौराई जरिये पुजारी गणपतलाल पुत्र रामचन्द्र दास चेला भागीरथ दास बेरागी निवासी मदिर श्री चारभुजा जी महाराज बताते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पिता द्वारा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष विवादित भूमि के सबंध में अपील संख्या 21/2010 हरजी व अन्य बनाम सरकार में प्रार्थी के पिता गणपत के द्वारा मदिर चारभुजाजी जरिये पुजारी गणपत पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 23.2.2011 को यह आदेश पारित करते हुए निरस्त किया गया कि मंदिर के साथ पुजारी का नाम जिसे राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पुजारी का नाम हटाया जाने के आदेश जारी हो चुके है। एवं मदिर का सरक्षक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ही है, एवं प्रार्थी गणपतलाल पुत्र रामदास चेला भागीरथ दास हितबद्व पक्षकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी खारिज किया गया। एवं प्रार्थी ने अपने आदेश 22 नियम 3 की प्रार्थना पत्र में पुजारी गणपतलाल द्वारा निष्पाद्वित वसियत के आधार पर मंदिर का पुजारी बनना चाहता है यानि न्यायालय से पुजारी होने की घोषणा चाहता है जो कि राज्य सरकार के जारी परिपत्र के विरूद्व एवं लोकनिति के विरूद्व है क्योकि राज्य सरकार द्वारा मंदिर की भूमि में से पुजारियों का नाम हटाने के आदेश दिए गए है प्रार्थी वसियत के आधार पर जरिये पुजारी वाद पत्र में अंकन चाहता है इस आश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो विधि विरूद्व है । मंदिर का रखरखाव व जिम्मदारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है । न की प्रार्थी ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी को जरिये पुजारी गणपतलाल का वारिस अंकित नही किया जा सकता है । इस कारण उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है । एवं जरिये पुजारी गणपतलाल द्वारा प्रस्तुत यह वाद भी खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. व धारा 5 मियाद अधिनियम सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner